कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. /2019 एलए
भू–अर्जन प्र0 क0–0017/अ–82/2019–2020

खण्डवा, दिनांक 17/09/2020

//उद्घोषणा– धारा 19//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

//अनुसूची//

1) भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्राम	:	गुजरीखेडा
(घ) अर्जित रकबा	:	0.223 हेक्टेयर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा
81/1	0.121
85	0.001
103/1	0.031
107	0.070
कुल खसरा नं0 04	कुल रकबा–0.223 हेक्टे0

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है– **अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन)** कार्य हेतु।

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा तथा **उप–मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला** के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–खंडवा